PUC - 90

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,जोधपुर

क्रमांकः राजस्व/एफआरए/2019/6866 दिनांकः 14/11/2019

आदेश

सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर द्वारा जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सड़क मार्ग को सीधे जोड़ने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु 4.39 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.39 हैक्टेयर के समतुल्य ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से 4.39 हैक्टेयर वन भूमि वन विभाग के नाम को आवंटन की सहमति प्रदान करने के निवेदन एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 11.11.19 द्वारा कायलाना झील के चारो तरफ सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की 6.1277 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यार्वतन हेतु भी ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि का उपयुक्त बताते हुए वन विभाग को आवंटन की सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। प्राधिकरण के निवेदन पर तहसीलदार बाप से ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि के वन विभाग के नाम करने हेतु प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार बाप ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/4437 दिनांक 13.11.2019 के सलंग्न ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 1313.10 बीघा किस्म गै.मु.मगरा मे से 11.39 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली व अतिकमण मुक्त बताते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किए गए।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के निवेदन एवं तहसीलदार बाप से प्राप्त प्रस्ताव पर भविष्य में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 किस्म गै.मु.मगरा में से जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सड़क मार्ग को सीधे जोडने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु रकबा 4.39 हैक्टेयर एवं कायलाना झील के चारो तरफ सड़क निर्माण कार्य हेतु रकबा 6.1277 हैक्टेयर **कुल रकबा 10.5177 हैक्टेयर** भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन **विभाग हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट)** की जाती है। तदनुसार तहसीलदार बाप आरक्षित भूमि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर,
जोधपुर

क्रमांकः राजस्व/एफआरए/2019/6867-72 दिनांकः 14/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त/सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर
2. उप वन संरक्षक,वन विभाग,जोधपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, बाप/तहसीलदार, बाप
4. रक्षित पत्रावली

क्रमांक 5722
दिनांक 21/11/19
कार्यालय उप वन संरक्षक
जोधपुर (राज.)

(एम.एल.नेहरा)
अपर जिला कलक्टर(प्रथम),
जोधपुर

सत्यापित प्रतिलिपि
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,जोधपुर

क्रमांक: राजस्व/एफआरए/2019/ 6866 — दिनांक: 14/11/2019

आदेश

सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर द्वारा जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सडक मार्ग को सीधे जोडने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सडक निर्माण हेतु 4.39 हैक्टेयर वन भूमि के [illegible] हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.39 हैक्टेयर के समतुल्य ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 में से 4.39 हैक्टेयर वन भूमि वन विभाग के नाम को आवंटन की सहमति प्रदान करने के निवेदन एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 11.11.19 द्वारा कायलाना झील के चारो तरफ सडक निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की 6.1277 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यार्वतन हेतु भी ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि का उपयुक्त बताते हुए वन विभाग को आवंटन की सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। प्राधिकरण के निवेदन पर तहसीलदार बाप से ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 मे से गैर वन भूमि के वन विभाग के नाम करने हेतु प्रस्ताव [illegible] गये।

तहसीलदार बाप ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/4437 दिनांक 13.11.2019 के संलग्न ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 1313.10 बीघा किस्म गै.मु.मगरा मे से 11.39 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली व अतिक्रमण मुक्त बताते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किए गए।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के निवेदन एवं तहसीलदार बाप से प्राप्त प्रस्ताव पर भविष्य में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 207 किस्म गै.मु.मगरा में से जोधपुर दुर्ग से बालसमंद सडक मार्ग को सीधे जोडने एवं बालसमंद से घोडा घाटी मार्ग पर सम्पर्क सडक निर्माण हेतु रकबा 4.39 हैक्टेयर एवं कायलाना झील के चारों तरफ सडक निर्माण कार्य हेतु रकबा 6.1277 हैक्टेयर **कुल रकबा 10.5177 हैक्टेयर** भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) की जाती है। तदनुसार तहसीलदार बाप आरक्षित भूमि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर,
जोधपुर
दिनांक: 14/11/2019

क्रमांक: राजस्व/एफआरए/2019/ 6867-72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त/सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर
2. उप वन संरक्षक,वन विभाग,जोधपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, बाप/तहसीलदार, बाप
4. रक्षित पत्रावली

(एम.एल.नेहरा)
अपर जिला कलक्टर(प्रथम),
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्रमांक 2159 दिनांक 14/11/19 शाखा/जोन Dir Eng. आयुक्त ★ जोधपुर ★

अधिशाषी अभियन्ता (…) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

EE-North 2753/DE 29/11/19

...द्वार' अभियान-2004

...भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, 102 और 1963 के तहत निजी/स्वयं संस्थाओं ...सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन

...संस्था का नाम : वन विभाग

...आवंटन का प्रयोजन : वन भूमि का विस्तार हेतु

...संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण : क्र नम्बर/2 195-17 बीघा

...में आवंटित भूमि का क्या उपयोग किया गया है ? : वन भूमि (चारागाह हेतु)

...आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण :-

नाम तहसील : बाप

नाम ग्राम : रावरा

खसरा नम्बर : 207

किस्म भूमि : गैर मुमकिन मगरा

खसरा नं॰ का कुल क्षेत्रफल : 1313.10 बीघा गैर मुमकिन मगरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल : 11.39 हे.

जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है ? हाँ/नही ✓

प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की अथवा नही ? हाँ/नहीं ✓

पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें। संलग्न है ✓/नहीं

...प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :-

पशु संख्या : —

प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि : —

क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है ? : —

यदि नही, तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है। : —

प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता पर टिप्पणी : गैर मुमकिन मगरा

राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के नियम 2 के तहत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु अधिकतम आवंटन योग्य क्षेत्रफल : -

प्रस्तावित भूमि यदि इससे अधिक है तो अधिक भूमि के आवंटन के औचित्य पर टिप्पणी : नियमानुसार

प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विस्तृत परियोजना संलग्न है ? : वन विभाग हेतु

स्थानीय निकाय/नगरपालिका/ग्राम पंचायत क्या आवंटन से सहमत है? हाँ/नहीं ✓

(आवंटन निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)

...क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की राय संलग्न करें? सहमत है/नहीं है ✓।

क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है ? हाँ/नहीं ✓

क्या संस्था रजिस्ट्रार (सहकारी समिति) अथवा देवस्थान विभाग, द्वारा पंजीकृत है ? हाँ/नहीं ✓

पंजीकरण क्रमांक एवं तिथि : —

(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्या संस्था पंजीकरण के पश्चात से ही निरन्तर कार्यरत है ? : —

अधिशाषी अभियन्ता (
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

[signature] उप वन संरक्षक (?) [signature]

17 क्या संस्था का विधान बना हुआ है ? : नियमानुसार
(विधान की प्रति संलग्न करें)

18 जिस प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है क्या वह संस्था के विधान में उल्लेखित उद्देश्यों के अन्तर्गत आता है ? हाँ/नहीं नियमानुसार

19 संस्था का कार्य क्षेत्र : तहसील बाप

20 संस्था की वर्तमान गतिविधियों और पूर्व में किये गये कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी : कुछ —

21 संस्था के वित्तीय स्त्रोत और जिस प्रयोजन के लिये भूमि चाही जा रही है उसे पूर्ण करने के लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों पर टिप्पणी : —

22 क्या संस्था का आडिट समय-समय पर किया जाता है? : भारत सरकार का विभाग

23 क्या गत वर्ष की आडिट प्रति संलग्न की है ? : —

24 संस्था की आम शोहरत टिप्पणी : —

25 यदि स्कूल के प्रयोजन से आवंटन चाहा गया है तो क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है ? : N.A

26 भूमि की प्रचलित बाजार दर : नियमानुसार

27 क्या संस्था रियायती दर पर भूमि आवंटन को सहमत है?: —

28 जिला कलक्टर की टिप्पणी

Note - जोधपुर जिला रोड से बालसमन्द [illegible] सड़क [illegible] जोड़ने बालसमन्द से छोड़ घाटी मार्ग पर सम्पर्क निर्माण हेतु प्रस्तावित 11.39 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम [illegible] बाप के ख०न० 207 में वन भूमि आवंटन [illegible] प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

[illegible] सं/भूअभि

उपनिवेशन विभाग

भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में चेक लिस्ट

1	जिले का नाम	जोधपुर	
2	आवेदक संस्था का नाम, पता एवं अन्य विवरण	वन विभाग (भारत सरकार)	
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	नियमानुसार	
4	संस्था का गत तीन साल का आय व्यय	—	—
		—	—
		—	—
5	प्रस्तावित आवंटन का प्रयोजन	वन विभाग (आवासार्थ)	
6	कौन से नियमों के तहत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	नियमानुसार	
7	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	—	
8	आवेदित प्रयोजन के क्षेत्र में संस्था का अनुभव का विवरण	—	
9	आवंटन हेतु आवेदित भूमि का विवरण	ग्राम	रावर
		तहसील	बाप
		खसरा संख्या	207
		खसरे का कुल रकबा	1313.10 बीघा
		आवेदित रकबा	11.39 हे0
		भूमि की किस्म	गै0मु0 मगरा
10	आवेदित भूमि चरागाह तो नहीं है?	—	
11	यदि आवेदित भूमि चरागाह है तो ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र	—	
12	चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि का विवरण	N.A	
13	आवेदित भूमि की वर्तमान DLC दर	—	
14	आवेदित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर		
15	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण व औचित्य	नियमानुसार	
16	भूमि की स्थिति यथा— ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय सीमा, नगरीय परिधि सीमा,	आबादी क्षेत्र	
17	यदि आवेदित भूमि नगरीय सीमा / परिधीय क्षेत्र में हो नगरपालिका / नगर परिषद की सहमति	N.A	

अधिशाषी अभियन्ता (...)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

18	अगर आवेदित भूमि मास्टर प्लान में है तो नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
19	क्या प्रस्तावित भू उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार है या भू उपयोग परिवर्तन करना होगा?	नहीं
20	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग से दूरी	15 km
21	आवेदित भूमि किस सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में है?	हाँ
22	संस्था द्वारा भू आवंटन हेतु प्रयोजन	वन औषधि हेतु
23	जो प्रयोजन बताया गया है, क्या सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा है?	—
24	आवेदित प्रयोजन के लिये निर्धारित नार्म्स से अधिक भूमि चाही गई है तो उसका औचित्य	—
25	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी, यदि हां तो उसका विवरण	हाँ [illegible] 201/2
26	परियोजना / प्रयोजन का क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ मिलेगा?	वन जीव हेतु चारागाह [illegible]
27	आवेदित भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन प्रकरण / स्थगन आदेश आदि का विवरण	नहीं
28	क्या भूमि पर पूर्व में कोई निर्माण है?	[illegible]
29	अगर भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	नहीं [illegible]
30	संलग्न दस्तावेजात का विवरण (जमाबन्दी, राजस्व नक्शा, तहसीलदार की रिपोर्ट नगरपालिका / ग्राम पंचायत की एनओसी, नगर नियोजन विभाग की राय आदि)	संलग्न है
31	प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की तो नहीं है।	नहीं

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है और वर्णित तथ्य सही हैं। तदनुसार भूमि के आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

(नाम ------------------------------)

आयुक्त उपनिवेशन / जिला कलेक्टर

[signature] [illegible] 12/10

मौका फर्द

श्रीमान तहसीलदार के मौखिक आदेश एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक राजस्व/एलआर/2019/16839 दिनांक 13-11-19 की पालना में पटवार मण्डल सांवरागांव के राजस्व ग्राम रावरा के खसरा नं० 207 रकबा 1313.10 बी० कुल मगरा हेतु 11.39 है० (71.09 बीघा) भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव तीन प्रतियों में तैयार किया है जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। (प्रस्तावित भूमि)
2. उक्त भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है या ना कोई वाद विचाराधीन है।
3. उक्त खसरे में (207/2) में 195.17 बीघा भूमि पूर्व में वन विभाग की भूमि है।
4. उक्त भूमि कमांड क्षेत्र भूमि है।
5. उक्त भूमि जोधपुर किला रोड से बाल समन्द [illegible] बीच जोड़ने, बालसमन्द से घोड़ा घाटी मार्ग पर सम्पर्क निर्माण हेतु प्रस्तावित 11.39 है० (71.09 बीघा) भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम रावरा तह० बाप में वन भूमि आवंटन आरक्षित बाबत प्रस्ताव तीन प्रतियों में तैयार किया है।

उक्त मौका रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में सादर पेश है।

पटवारी
सांवरागांव

[illegible] अभियन्ता (
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम रावना .... पटवार क्षेत्र सांवरागांव .... भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानासर

तहसील बाप .... जिला जोधपुर .... राजस्थान सम्वत् 2073.. से 2076.. तक

खेवट (खतौनी) सं. नई	खेवट (खतौनी) सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्त्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: रकम	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		राज. सरकार	राजकीय खाता	207	1313.10	गै.मु. मगरा										

ह. पटवार सांवरागांव

अधिशाषी अभियन्ता ( )
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Code : J-101

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम रावरा .... पटवार क्षेत्र सांवरा गांव .... भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास

तहसील बाप .... जिला जोधपुर .... राजस्थान सम्वत् 20.7.3. से 20...7.6 तक

खेवट (खतौनी) सं. नई	खेवट (खतौनी) सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्त्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा संदत्त लगान तथा अन्य शोध्य: रकम	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की सं. एवं तारीख	सम्वत ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		राज. सरकार	राजकीय खाता	207	18.13.10	गै.मु. मगरा										

वरिष्ठ सांवरा गांव

अधिशाषी अभियन्ता (
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Code : J-101

पटवार - साँवरागाँव
ग्राम - रावरा

नजरी नक्शा

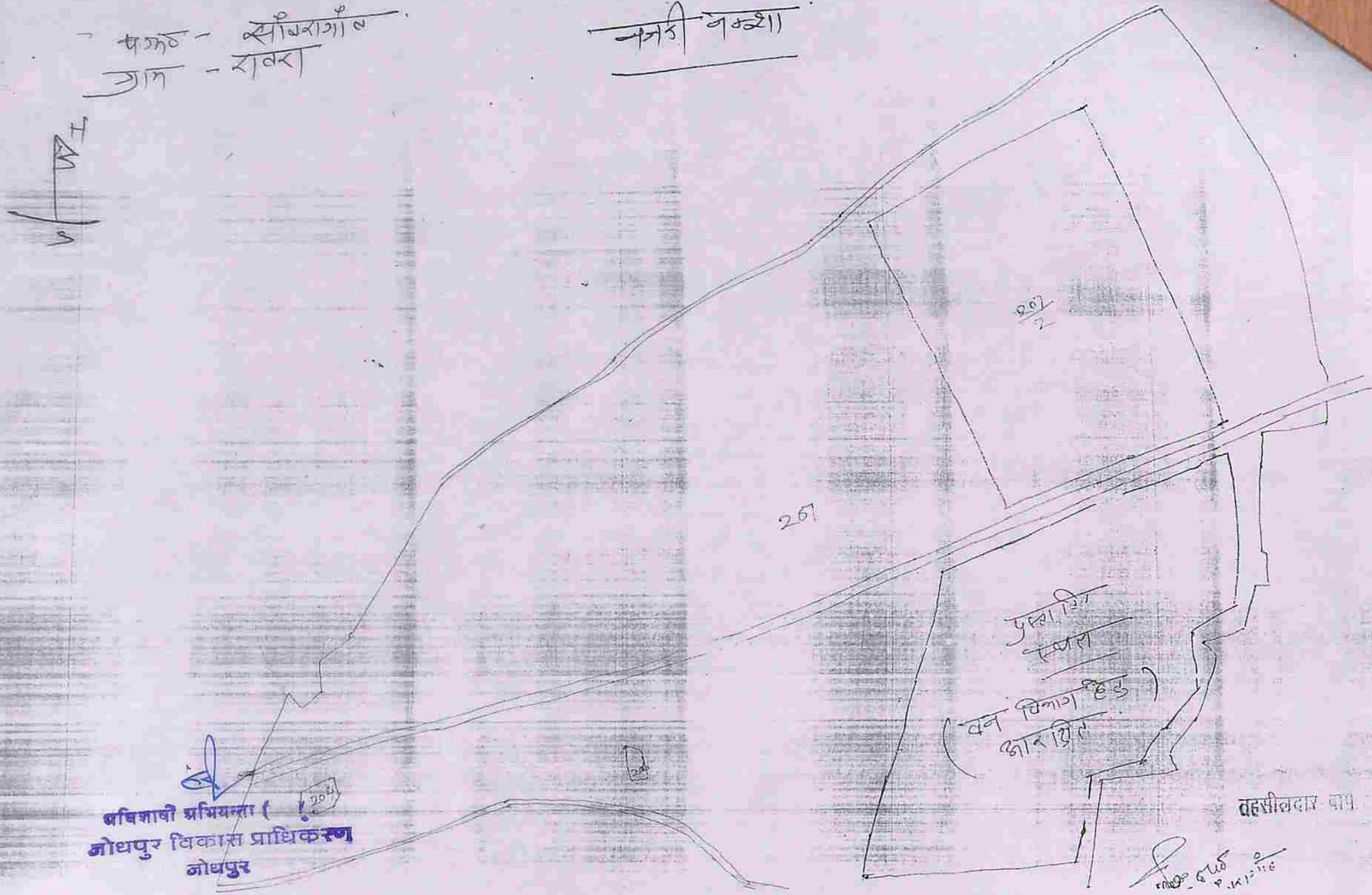

अधिशाषी अभियन्ता (
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

तहसीलदार बाप

ग्राम का नाम :- [illegible]	पटवार हल्का [illegible]	भू.अभि.नि.क्षेत्र [illegible]	पृष्ठ संख्या 2 of 95
तहसील :- [illegible]	जिला :- जोधपुर	दिनांक :- 26/11/2016	
सम्वत :- 2073 - 2076	वास्तविक सम्वत :- 2073	[illegible] :- सल्दरी-132	
[illegible] :- बीघा-बिस्वा			पटवार पत्र / सरकार पत्र

खेवट(खतोनी) नया	खेवट(खतोनी) पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा(हैक्टेयर)	भूमि वर्गीकरण	हैक्टेयर/ सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				116	38-10(6.2321)	बारानी III	38-10(6.2321)					
				119	26-03(4.2330)	गै.मु.मगरा	26-03(4.2330)					
				121	14-13(2.3714)	गै.मु.मगरा	14-13(2.3714)					
				133	300-02(48.5784)	गै.मु.मगरा	300-02(48.5784)					
				137	19(3.0756)	गै.मु.मगरा	19(3.0756)					
				152	2(0.3237)	गै.मु.मगरा	2(0.3237)					
				159	2-06(0.3723)	गै.मु.[illegible]	2-06(0.3723)					
				167	23-08(3.7879)	गै.मु.मगरा	23-08(3.7879)					
				171	17-14(2.8652)	गै.मु.मगरा	17-14(2.8652)					
				175	6-18(1.1169)	गै.मु.मगरा	6-18(1.1169)					
				180	769-08(124.5458)	गै.मु.मगरा	769-08(124.5458)			[illegible]		
				198	81-03(13.1361)	गै.मु.मगरा	81-03(13.1361)					
				200	103-17(16.8106)	गै.मु.मगरा	103-17(16.8106)					
				207	1313-10(212.6219)	गै.मु.मगरा	1313-10(212.6219			[illegible]		
				210	7-07(1.1898)	बारानी III	7-07(1.1898)					
				23[illegible]	11-06(1.8292)	गै.मु.मगरा	11-06(1.8292)					
				236	22-02(3.5774)	गै.मु.मगरा	22-02(3.5774)					
				240	256-12(41.5368)	गै.मु.मगरा	256-12(41.5368)					
				244	778-10(126.0189)	गै.मु.मगरा	778-10(126.0189)					
				245	466-02(75.4495)	गै.मु.मगरा	466-02(75.4495)					
				248	123-10(19.9914)	गै.मु.मगरा	123-10(19.99[illegible]					
				249	1-01(0.1700)	गै.मु.मगरा	1-01(0.170[illegible]					
				254	15-08(2.6386)	गै.मु.मगरा	15-08(2.6386)					

[illegible]

अधिशाषी अभियन्ता ( )
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर